सपना

बनाम

यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. और अन्य

सिविल अपील नं 3575/2008

मई 14, 2008

(एस.बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पन्टा, जेजे)

मोटर वाहन अधिनियम 1988:

मोटर वाहन दुर्घटना - स्थायी विकलांगता - एक नाबालिग लड़की पीड़ित है- उचित और न्यायसंगत मुआवजा - माना कि : रेस्टट्यूशयो इन इंटीग्रम का सिद्धान्त इस प्रकार के प्रकरण में लगता है। बीमाधारक को गंभीर चोट लगने की स्थिति में मुआवजा देते समय, बीमा अधिकरण को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए ताकि बीमाधारक को ऐसी स्थिति में रखा जा सके जैसे कि उसे कोई चोट नहीं लगी हो- हालांकि उच्च न्यायालय ने घायल की वीकलांगता के कारण इसकी वैवाहिक संभावनाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का उल्लेख किया था, लेकिन उस संबंध में उचित ध्यान नहीं दिया गया था- मुआवजे की उचित और न्यायसंगत राशि निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए- मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय दूसरी अनुसूची के संरचनात्मक से भटक सकता है- आवश्यक भविष्यवर्ती में उपचार के समुचित आंकलन के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय, पीड़ित के आगे के ईलाज के लिए ट्रीब्यूनल द्वारा मुआवजे के रूप में

दी गयी राशि और उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ायी गयी राशि के अलावा 75000/-रुपये की राशि प्रदान करना उचित समझता है। ट्रीब्यूनल को पीड़ित की व्यस्क होने तक, दी गयी राशि को सावधि जमा में निवेश करने और आवश्यकता पड़ने पर राशि प्रदान की जावे- निर्देश जारी

सिद्धान्तः

रेस्टट्यूशयो इन इंटीग्रम का सिद्धान्त- की प्रयोजकता

अपीलार्थी एक 12 वर्षीय लड़की मोटर वाहन दुर्घटना में स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गई। उसे एक अस्पताल ले जाया गयाए उसके इलाज पर 45000/- रुपये खर्च हुए और उसे आगे के उपचार से गुजरना पड़ा। उसने एक मुआवजा याचिका दायर कीए ट्रिब्यूनल ने 8% साधारण ब्याज के साथ 82569/- रुपये का मुआवजा दिया। अपील मेंए उच्च न्यायालय ने मुआवज़ा बढ़ाकर 200000/- रुपये कर दिया और ब्याज दर घटाकर 6% कर दी। इस आधार परए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ताने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने भी विवादित अवार्ड पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि दुर्घटना में अपीलकर्ता को लगी चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुएए न केवल उसकी शिक्षा समाप्त हो गई है लेकिन साथ ही उसकी भविष्य की वैवाहिक संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार वह अधिक मुआवजे की हकदार थी और यह कि भविष्य में इलाज के लिए भी 1,50000/- रुपये की आवश्यकता होगी और मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए अपीलकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुएए मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

प्रत्यर्थी ने कथन किया कि हानि का निर्धारण दुर्घटना की तिथि के आधार पर किया जाना चाहिएय यहां तक कि भविष्य के उपचार की राशि भी अवार्ड की तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और अपीलकर्ता के पास यह स्वीकृत है कि कोई आय नहीं थी और इस मामले को देखते हुए ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 शारीरिक चोट के मामले में नुकसान का आकलन करने के लिए दावा याचिका को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत यह हैं कि मुआवजा देते समयए ट्रिब्यूनल को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए ताकि बीमाधारक को उसी स्थिति में रखा जा सके जैसे कि उसे कोई चोट नहीं लगी हो। इस प्रकृति के मामले में रेस्टिट्यूटियो.इन.इंटीग्रम का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। कुछ शीर्षों आर्थिक हानि और गैर आर्थिक हानि पर ध्यान केंद्रित आवश्यक है। जहां तक आर्थिक हानि का सवाल है तो उसका आकलन इस प्रकारकिया जा सकता है किवह ऐसी राशि देकर एक संतुलनकारी कार्य हैए जो एक तरफए दावेदार को वर्तमान समय में हुए नुकसान और भविष्य के आर्थिक लाभों का ख्याल रखेगा और दूसरी तरफए आर्थिक लाभ जो चाहे जो भी हो ऐसी चोटों के कारण स्रोत उनके पास आता है। जहां तक गैर.आर्थिक हानि का सवाल है, इसका आकलन मोटे तौर पर कुछ प्रमुख मदों के तहत किया जाना चाहिएए जैसे कि शारीरिक दर्दए मानसिक पीड़ा आदि के लिए क्षति के अलावा चिकित्सा उपचार पर खर्च की गई राशिए यदि कोई हो। [पारा 8] [7960 एफ़, जी, एच, 797-ए-बी]

1.2 चिकित्सा उपचार पर किया गयाव्यय मंज़ूर किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने स्थायी विकलांगता के कारण अपीलकर्ता की वैवाहिक संभावनाओं पर संभावित प्रभाव का उल्लेख किया थाए लेकिन उस संबंध में

उचित ध्यान नहीं दिया गया था। मुआवजे के उक्त आंकड़े पर पहुंचने के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है। उक्त आंकड़े पर पहुंचने में केवल वैवाहिक संभावना के नुकसान को ध्यान में रखा गया है। इस तथ्य पर भी गौर किया गया कि वह जीवन भर अपंग रहेगीए लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई गंभीरता से विचार किया गया हो। [पारा 9 और 10] [797-बी, सी, जी, एच]

1.3 इस प्रकृति के मामले में यह सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए कि मुआवजे की राशि उचित और न्यायोचित होनी चाहिए। हालाँकिए मुआवजे की उचित और न्यायोचित राशि क्या होगी इसका निर्धारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। दिए गए मामलों मेंए अदालतें संरचनात्मक नियम से विचलित हो सकती हैं। मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में जहां मृतक या घायल की कोई आय नहीं थीए क़ानून प्रति माह लगभग 15000/- की आय मानता है। यदि अपीलार्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए 15 का गुणक लागू किया जाता हैए तो 2,25000/- रुपये की राशि देय होगी। उक्त राशि के अलावाए न केवल मानसिक पीड़ा के मद में कुछ मुआवजा राशि दी जानी चाहिएए बल्कि भविष्य के इलाज के लिए भी कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। [पैरा 11] [798-ए, बी, सी]

1.4 अपीलार्थी द्वारा अपने भविष्य के इलाज के लिए कितना वास्तविक और उचित खर्च किया जाएगाए इसका रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। हर्जाना देने के उद्देश्य से इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने में पूरी तरह से अक्षम हो जाता है और वस्तुतः उसे जीवन का कोई आनंद नहीं मिलता हैए तो वही प्रासंगिक कारक बनते हैं जिनपर मुआवजे की उचित

और न्यायोचित राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार की आवश्यकता होती है। [पैरा 13] [799-बी, सी, डी]

अबाती बेजबरूआ बनाम उपण् महानिदेशकए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य (2003) 3 एससीसी 148 और नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह एवं अन्य (2003) 2 एससीसी 274. पर भरोसा किया गया।

1.5 यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलकर्ता के लिए भविष्य में उपचार आवश्यक होगा। यदि भविष्य में उपचार आवश्यक हो तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। किसी स्पष्ट अनुमान के अभाव में यह अदालत उक्त मद के तहत 75000/- रुपये की अतिरिक्त राशि देने को इच्छुक है। उसे एक और ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। उसे कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है। [पैरा 16] [799-डी-ई]

2. ट्रिब्यूनल मुआवजे की राशि में से 200000 रुपये की राशि यदि पहले से वितरित नहीं की गई हैए पीड़िता के वयस्क होने तक सावधि जमा में निवेश करेगा। जब भी उसके इलाज या अन्य व्यय के लिए किसी राशि की आवश्यकता होगीए तो राशि निकाली जा सकती है। हालाँकिए ट्रिब्यूनलए यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। [पैरा 16] [800-सी, डी]

मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बैरागढ़ भोपाल बनाम सुधाकर और अन्य एआईआर 1977 एससी 1189 पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3575/2008।

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा 2003 के आदेश संख्या 487 की अपील में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 1.3.2006 से।

अपीलार्थी के लिए अश्वनी गर्गए विजय कुमार, संगीता कुमार, मेंडी इमाम और तररेज़ खान।

प्रत्यर्थी की ओर से अतुल नंदाए रमीज़ा हकीम, राजेश कुमार और संदीप बजाज (मिस लॉ एसोसिएट्स एंड कंपनी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई

2. मोटर वाहन से हुई दुर्घटना में 12 साल की लड़की की स्थायी विकलांगता के लिए उचित और पर्याप्त मुआवजा क्या होना चाहिए, यह यहां सवाल है। 3.9.1999 कोए लगभग 10.00 बजे एक मंदिर जाते समय सपना को एक जीप ने टक्कर मार दी जिसका उपयोग टैक्सी के रूप में किया जाता था। वह जीप के साथ करीब 15.20 फीट दूर तक घिसटती चली गई। उनके बाएं घुटने में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया और बाएं घुटने की पटेला हड्डी खिसक गई और ऊपर और नीचे की त्वचा और मांसपेशियां बाहर आ गईं और नसें कट गईं और घुटना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बाएं पैर की त्वचा और मांस फटने के कारण हड्डियां दिखने लग गई और बाईं ओर पैर घुटने से 90 अंश पर मुड़ गया है जिसके परिणामस्वरूप वह अपंग हो गई है और चलने में पूरी तरह से अक्षम हो गई है। दाहिने पैर की जांघ से लेकर टखने तक की त्वचा भी छिल गई जिससे गंभीर घाव हो गए।

3. उसे एक अस्पताल ले जाया गया और लगभग 25 दिनों तक वहां एक रोगी के रूप में भर्ती रखा गया। उस दिन तक उसके इलाज पर 45000/- रुपये खर्च हो चुके थे। यह कहा गया है कि उसे अभी भी उपरोक्त अस्पताल से इलाज कराने की आवश्यकता है।

4. 645000/- रुपये की राशि का मुआवजा देने की प्रार्थना करते हुए एक दावा याचिका दायर की गई थी। विद्वान न्यायाधिकरण ने 8% साधारण ब्याज के साथ 82569/- रुपये का अवार्ड पारित किया।

5. इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय के कारण, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 200000/- रुपये कर दिया है, लेकिन ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष से घटाकर 6% कर दी है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गर्ग का कहना है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने भी विवादित पुरस्कार पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि उन्हें लगी चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उक्त दुर्घटना में अपीलकर्ता की न केवल शिक्षा समाप्त हो गई है बल्कि उसकी भविष्य की वैवाहिक संभावना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस प्रकारए वह अधिक मुआवजे की हकदार थी। वह पूरी तरह से अपने माता.पिता पर निर्भर थी, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय को भी मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय यह मानना चाहिए था कि भविष्य में इलाज के लिए भी 150000/- रुपये की आवश्यकता होगी। यह आग्रह किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए और अपीलकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुएए इस न्यायालय को मुआवजे की राशि बढ़ानी चाहिए।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नंदा का कहना था कि नुकसान का निर्धारण दुर्घटना की तारीख के अनुसार किया जाना चाहिए यहां तक कि भविष्य के उपचार राशि का निर्धारण भी अवार्ड की तिथि के अनुसार किया जाना चाहिए। स्वीकृत है कि अपीलकर्ता की कोई आय नहीं थी और इस मामले को देखते हुए ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

8. शारीरिक चोट के मामले में नुकसान का आकलन करने के लिए दावा याचिका को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत यह हैं कि मुआवजा देते समयए ट्रिब्यूनल को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए ताकि बीमाधारक को उसी स्थिति में रखा जा सके जैसे कि उसे कोई चोट नहीं लगी हो। रेस्टिट्यूटियो इन इंटीग्रम का सिद्धांत ऐसी प्रकृति के मामले में लागू किया जा सकता है। आर्थिक हानि और गैर आर्थिक हानि को कुछ शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जाना आवश्यक है। जहां तक आर्थिक नुकसान का सवाल है तो उसका आंकलन किया जा सकता है, जो करने की आवश्यकता है वह ऐसी राशि देकर एक संतुलनकारी कार्य है, जो एक तरफ, दावेदार को वर्तमान समय में हुए नुकसान और भविष्य के आर्थिक लाभों का ख्याल रखेगा और दूसरी तरफ, आर्थिक लाभ जो चाहे जो भी हो ऐसी चोटों के कारण स्रोत उनके पास आता है। जहां तक गैर आर्थिक हानि का सवाल है इसका आकलन मोटे तौर पर कुछ प्रमुख मदों के तहत किया जाना चाहिए, जैसे कि चिकित्सा उपचार पर खर्च की गई राशि के अलावा शारीरिक दर्द मानसिक पीड़ा आदि के लिए क्षति, यदि कोई हो।

9. चिकित्सा उपचार हेतु व्यय की अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने स्थायी विकलांगता के कारण अपीलकर्ता की वैवाहिक संभावनाओं पर संभावित प्रभाव का उल्लेख किया थाए लेकिन उस संबंध में उचित ध्यान नहीं दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा दुर्घटना के समय दावेदार कुमारी सपना की उम्र को ध्यान में रखते हुए चोटों की प्रकृति और दुर्घटना में उन्हें हुए फ्रैक्चर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उनके बाएं पैर में स्थायी विकलांगता की सीमा य उस अवधि के दौरान उसे कितनी शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी होगी और उसके बाएं पैर में प्लास्टर लगा य तथ्य यह है कि उसके बाएं पैर में 90% की सीमा तक स्थायी

विकलांगता से उसकी वैवाहिक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शेष जीवन तक वह अपंग रहेगी और उपरोक्त आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के मद्देनजर हमारी राय है कि रु. 200000/- केवल दो लाख रुपये दावेदार को दुर्घटना में लगी चोटों उपचार पर खर्च की गई राशिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा भविष्य की कमाई क्षमता की हानि और अन्य अनुमेय शीर्ष के लिए उचित मुआवजा होगा।

10. इसके समर्थन में कोई कारण नहीं बताया गया है। उक्त आंकड़े पर पहुंचने में केवल वैवाहिक संभावना के नुकसान को ध्यान में रखा गया है। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि वह जीवन भर अपंग रहेगी लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई गंभीरता से विचार किया गया हो।

11. इस प्रकृति के मामले में लागू किया जाने वाला सिद्धांत कि मुआवजे की राशि समुचित एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए यह स्वीकृत है। हालाँकि मुआवजे की उचित और युक्तियुक्त राशि क्या होगी इसका निर्धारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। दिए गए मामलों में अदालतें संरचनात्मक नियम से विचलित हो सकती हैं। दूसरी अनुसूची के संदर्भ में जहां मृतक या घायल की कोई आय नहीं थी क़ानून प्रति माह लगभग 15000/- की आय मानता है। यदि अपीलकर्ता की आयु को ध्यान में रखते हुए 15 का गुणक लागू किया जाता है तो 2,25000/- रुपये की राशि देय होगी। उक्त राशि के अलावा न केवल मानसिक पीड़ा के मद में कुछ मुआवजा राशि दी जानी चाहिए बल्कि भविष्य के इलाज के लिए भी कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए।

12. अबती बेजबरुआ बनाम उप महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य (2003) 3 एससीसी 148], में यह अभिनिर्धारित किया गया था-

"11. अब यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि दूसरी अनुसूची के तहत दिए गए संरचित फॉर्मूले के आधार पर मुआवजे का भुगतान आमतौर पर नहीं किया जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168, धारा 166 के संदर्भ में मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है। हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय ने माना है असाधारण मामलों में संरचित सूत्र से विचलन का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावाए मुआवजे की राशि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए।"

हम नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह और अन्य (2003)2 एससीसी 274 के फैसले पर भी गौर कर सकते हैंए जिसमें इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि कानून अंतिम अवार्ड पारित होने के बाद किसी भी अन्य अवार्ड को पारित करने की अनुमति नहीं देता है।

"इसलिए ऐसे मामले में जहां किसी पीड़ित को चोट लगने पर समय-समय पर चिकित्सा व्यय की आवश्यकता होती है, मुआवजे की कार्यवाही को अंतिम रूप देने के बाद किए गए चिकित्सा व्यय पर नया अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है या पिछले अवार्ड की समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, एकमात्र विकल्प यह है कि अंतिम निर्णय पारित करते समय ट्रिब्यूनल अदालत को ऐसी स्थिति पर विचार करना चाहिए और तदनुसार मुआवजा तय करना चाहिए। कोई भी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए वास्तविक और उचित रूप से किए जाने वाले व्यय को ध्यान में रखना अनुचित है। चिकित्सा उपचार की लागत में

वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भविष्य में होने वाले आवश्यक चिकित्सा खर्चों का निर्धारण निष्पक्ष अनुमान के आधार पर ही किया जा सकता है।"

13. अपीलार्थी द्वारा अपने भविष्य के इलाज के लिए कितना वास्तविक और उचित खर्च किया जाएगा इसका रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। हर्जाना देने के उद्देश्य से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने में पूरी तरह से अक्षम हो जाता है और वस्तुतः उसे जीवन का कोई आनंद नहीं मिलता है, तो वही प्रासंगिक कारक बनते हैं और इस प्रकार मुआवजे की उचित और न्यायोचित राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार की आवश्यकता होती है।

14. इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के लिए भविष्य में उपचार आवश्यक होगा। यदि भविष्य में उपचार आवश्यक हो तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। किसी स्पष्ट अनुमान के अभाव में हम उक्त मद के तहत 75000 रुपये की अतिरिक्त राशि देने के इच्छुक हैं। उसे एक और ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। उसे कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है। हम तदनुसार निर्देशित करते हैं।

15. इसी तरह का प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बैरागढ़ भोपाल बनाम सुधाकर और अन्य में विचार के लिए आया था। एआईआर 1977 एससी 1189, जिसमें इस न्यायालय ने कहा:

"दूसरी अपील (सी.ए.नंबर 2255,1968) लगभग चार साल की उम्र के एक लड़के को लगी चोट से संबंधित है। उसे घाव के संक्रमण के साथ टखने के जोड़ के पास दाहिनी टिबिया और फाइबुला के निचले तीसरे हिस्से में मिश्रित फ्रैक्चर हुआ था। स्किन-ग्राफ्टिंग करना पड़ा और लड़के को 25 जून से 4 अगस्त 1961 तक अस्पताल में रहना पड़ा। जिस डॉक्टर ने उसकी

जांच की उसके अनुसार बच्चे में स्थायी लंगड़ापन विकसित होने की संभावना थी जिसके लिए 16 साल या उसके आसपास की उम्र में एक और ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी स्थिति में डॉक्टर की राय में यह विकृति लड़के के 16 वर्ष के होने तक बनी रहेगी फिर इसे दूसरे ऑपरेशन द्वारा दूर किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने सामान्य क्षति के रूप में 10000/- रुपये और विशेष क्षति के रूप में 890/- रुपये का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने सामान्य क्षति को बढ़ाकर 20000/- रुपये कर दिया। साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि लड़का किसी अच्छे परिवार से है। यद्यपि संभावना यह थी कि जब वह 16 वर्ष का हो जाएगा तो शल्य चिकित्सा द्वारा विकृति को दूर कर दिया जाएगा लेकिन दूसरी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

16. उपरोक्त राशि में से यदि पहले से ही प्रदान नहीं की गयी है तो ट्रिब्यूनल उसके वयस्क होने तक 2,00000/- रुपये की राशि को सावधि जमा में निवेश करेगा। जब भी उसके इलाज या अन्य व्यय के लिए किसी राशि की आवश्यकता होगी वह राशि वापस ली जा सकती है.हालाँकि विद्वान न्यायाधिकरण यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी उषा प्रजापत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।